<u>न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेडी, बरेली</u>

<u>Judicial Officer Code-UP3454</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0–   /2022</u>

सरकार

बनाम

फईम
मु0अ0 संख्या–318/2022
धारा 3,5क,8 सी0एस0 एक्ट
थाना–शीशगढ़, जिला बरेली।

दिनांक 18.10.2022

आवेदक/अभियुक्त फईम की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज ही जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर बल दिया गया। अभियुक्त दिनांक 07.10.2022 से जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष को सुना। अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

सुना एवं दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि अभियुक्त मु0अ0सं0 318/2022 अन्तर्गत धारा 3,5क,8 सी0एस0 एक्ट के मामले में दिनांक 07.10.2022 से जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति अत्यधिक गंभीर व अजमानतीय है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसारः–

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त फईम का मु0अ0सं0 318/2022 अन्तर्गत धारा 3,5क,8 सी0एस0 एक्ट थाना शीशगढ़, जिला बरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(विजय शंकर गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेड़ी, बरेली।